संख्या-32/3392/12-2-2014-बजट.8/2010

उत्तर प्रदेश शासन।

विषय- मृदा में सल्फर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने की योजना (मृदा सुधार योजना) में वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-12-मृदा सुधार योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 100000 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 50000 हजार (रूपये पांच करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण फेजिंग करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा शासनादेश सुनिश्चित करेंगे।

अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा। उक्त उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अवशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो

http://shasanadesh.up.nic.in

की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर कर ली जाये।

6. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-12-मृदा सुधार योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या: 32/3392(1)/12-2-2014 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

6. गार्ड फाईल।

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	योजना का नाम	मृदा सुधार योजना
2	वित्त पोषण	उत्तर प्रदेश
3	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में	
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/भारत सरकार/आर0के0वी0वाई में एस0एल0एस0 सी0/मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया	शासन के पत्र संख्या: 2066/12-2-2012-12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की अवधि के लिए मृदा में सल्फर तथा सूक्ष्म तथ्वों की कमी को दूर करने के लिए कृषकों को सल्फर एवं माइक्रोन्यूटियन्ट वितरण पर अनुदान देने की योजना स्वीकृत की गयी है।
5	परिव्यय	100000 हजार रूपये
6	केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित।	-
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि -	-
8	योजना हेतु वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	100000 हजार रूपये
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ तथा व्यय की धनराशि	जारी धनराशि- 50000 हजार रूपये व्यय की गयी धनराशि-30193 हजार रूपये
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	जारी धनराशि- 100000 हजार रूपये व्यय की गयी धनराशि- 59356 हजार रूपये
11	मानक मद-27 सब्सिडी	50000 हजार रूपये
	योग-	50000 हजार रूपये

(रूपये पांच करोड मात्र)

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in